

निर्णय ब इजलासा डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 231/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एसआरजी हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 321, एस. एम. लोधा, कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल के पास, उदयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती गीना देवी पुत्र श्री मंगल चंद बुनकर,
2. श्री संतोष कुमार बुनकर पुत्र श्री मंगल चंद बुनकर,
3. श्री पवन कुमार बुनकर पुत्र श्री मंगल चंद बुनकर,  
पता:- वार्ड नं. 6, ग्राम शेरपुरा खोरी, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
4. श्री रविन्द्र वर्मा पुत्र श्री कालूराम वर्मा,  
पता:- ग्राम शेरपुरा खोरी, तहसील शाहपुरा, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.


अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित:- श्री चन्द्र शेखर बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 05.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.03.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती मीना देवी के स्वामित्व की संपत्ति पट्टा नं. 16, बुक नं. 10, संकल्प नं. 14, ग्राम खोरी, ग्राम पंचायत खोरी, शाहपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 91.56 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 03,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 03,50,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित

  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्राप्तिगण का ऋण खताएं एवं पी ए धीमित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 03,31,000/- रुपये जमा करने हेतु अप्राप्तिगण को दिनांक 25.05.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्राप्तिगण द्वारा जक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राप्तिगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का गुप्तान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का गौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राप्ति श्रीमती मीना देवी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 16, बुक नं. 10, संकल्प नं. 14, ग्राम खोरी, ग्राम पंचायत खोरी, शाहपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 91.56 वर्गफुट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपयुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हरख कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दायित्व दफ्तार हो।

6 आदेश आज दिनांक 5.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर (राजस्थान)